भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2533
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

फेम-II योजना

2533. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभाग ने बारत में फॉस्टर एडोप्सन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम इंडिया) स्कीम के चरण-II अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रचालन लागत पद्धति के आधार पर 5,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की लागत पर राजसहायता देना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त के लिए कुल कितना आबंटन किया जाना है और इसमें कितने वर्ष कवर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इसके लिए कोई रूपरेखा है कि विभिन्न राज्यों और शहरों में इन बसों का किस प्रकार आबंटन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ङ): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु प्रचालनात्मक लागत मॉडल पर विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने में इच्छुक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभागों, राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों, नगर निगमों अथवा इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक उद्यमों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 04 जून, 2019 को एक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। चूंकि फेम इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को केवल प्रचालनात्मक लागत आधार अर्थात् दर प्रति किलोमीटर आधार पर ही चलाया जाना है, सभी चुनिन्दा शहरों/राज्य परिवहन उपक्रम आदि के लिए एक एकसमान बोली तंत्र के माध्यम से पात्र प्रोत्साहनों की गणना की जाएगी। पात्र प्रोत्साहन की गणना के लिए मानदंड को उक्त रुचि की अभिव्यक्ति के ''बोली तंत्र'' शीर्ष के तहत पैरा 9 में बताया गया है।

फेम इंडिया योजना चरण-II, अधिसूचना का.आ.1300(ई), दिनांक 08 मार्च, 2019 (विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध) के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 3 वर्षों की अवधि में लगभग ₹3545 करोड़ के बराबर मांग प्रोत्साहन देकर 7000 इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

वाहनों के विद्युतीकरण हेतु अनुकूल नीतियों, किफायती मूल्य पर विद्युत की उपलब्धता, चार्जिंग अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु स्थान/अवस्थिति की उपलब्धता, बसों की पार्किंग और चार्जरों की स्थापना के लिए समर्पित डिपो, ऐसे वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट इत्यादि जैसे अर्हता मानकों के आधार पर अनेक राज्यों तथा शहरों में ई-बसे आबंटित की जाएंगी। विभिन्न राज्यों तथा शहरों में ई-बसों के आबंटन हेतु अर्हता मानकों के बारे में फेम इंडिया योजना चरण-II के तहत ई-बसों की तैनाती हेतु दिनांक 04 जून, 2019 को विभाग द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के पैरा 2, 4 और 9 में बताया गया है। विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति की एक प्रति विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

****